

## न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा  
आई.ए.एस.

मिसल संख्या  
मैनुअल नं. 04/रेफरेंस/2024  
( GCMS No. 2024/231 )

तारीख दायरा  
26.11.2024

तारीख निर्णय  
02.06.2025

राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार, रायथल (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

देवीशंकर पुत्र कालू जाति खटीक,  
निवासी ग्राम खटकड़, तहसील रायथल, जिला बून्दी।

— अप्रार्थी

रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82(2)  
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपरिथत—

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।  
अप्रार्थी की ओर से श्री साबिर हुसैन, एडवोकेट।

निर्णय

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बून्दी द्वारा पूर्व में प्रेषित रेफरेंस प्रकरण सं. 18/2012 बउनवान सरकार जयें तहसीलदार बून्दी बनाम भंवरलाल, सीतराम पि. गणपत कीर निवासी खटकड़ इस न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया गया था। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.12.2023 से उक्त रेफरेंस स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 220/1 की किस्म गे.मु. तलाई दर्ज रेकार्ड किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। इस न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पालना कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार रायथल को लिखा गया। इस संबंध में तहसीलदार रायथल द्वारा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने पर ज्ञात हुआ कि भूमि खसरा नं. 210 जिसके नवीन खसरा नं. 1483/210, 1484/210, 1485/210 बने हैं, में से 04 बिस्वा भूमि सिवायचक गे.मु. तलाई दर्ज होनी थी परन्तु सहवन से उक्त रेफरेंस खसरा सं.

जिला कलक्टर; बून्दी



220/1 रकबा 18 बिस्वा का भिजवाया जाने से माननीय न्यायालय द्वारा उक्त भूमि सिवायचक 'गे.मु.तलाई' दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। प्रकरण में रिपोर्ट हल्का पटवारी, मिलान क्षेत्रफल, तरमीमी नक्शा, नकल जमाबंदियों, नक्शालट्टा आदि राजस्व रिकार्ड का परीक्षण किये जाने पर मूल खसरा नम्बर 110/3 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा किस्म तलाई की उक्त भूमि खसरा सं.210 में 04 बिस्वा, खसरा सं. 212 में 03 बिस्वा एवं खसरा सं. 220 में 14 बिस्वा में विभक्त पायी गयी। ऐसे में तहसीलदार रायथल द्वारा भिन्न भिन्न खसरा नम्बरान बाबत पृथक-पृथक प्रकरण तैयार कर भिजवाये गये हैं।

यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र तहसीलदार रायथल ने अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थीया की खातेदारी की भूमि ग्राम खटकड़ के खसरा सं.210 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा में से 04 बिस्वा (जिसके नवीन खसरा सं.1483/210 रकबा 0.1052 हैक्टेयर में से 0.0108 हैक्टेयर, नवीन खसरा सं.1484/210 रकबा 0.1052 हैक्टेयर में से 0.0108 हैक्टेयर, नवीन खसरा सं. 1485/210 रकबा 0.1376 हैक्टेयर में से 0.0108 हैक्टेयर) को कब्जे राज लेकर भू प्रबन्ध से पूर्व की किस्म 'गे.मु.तलाई' राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने तथा अप्रार्थीगण के नाम की अवैध प्रविष्टी को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 4/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/231 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी को वास्ते जवाब जर्गे नोटिस आहूत किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्गे अधिवक्ता उपस्थित आकर दिनांक 11.03.2025 को जवाब पेश किया जाकर रेफरेंस की कार्यवाही ड्रॉप किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि (पुराने खसरा सं. 110/3 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा) की किस्म 1947 से पूर्व 'गे0मु0तलाई' दर्ज रेकार्ड थी, जो पानी के बहाव के काम में आती थी तथा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के विपरीत बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा यह भूमि अवैध रूप से अप्रार्थीया के खाते में दर्ज कर दी गयी। अप्रार्थी को विवादित भूमि पर कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अप्रार्थी के नाम की अवैध प्रविष्टी को निरस्त कर वादग्रस्त भूमि को पूर्वानुसार 'गे.मु. तलाई' राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज करवाये जाने की स्वीकृति हेतु रेफरेंस प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जावे।



जिला कलेक्टर, बुंदी

अभिभाषक अप्रार्थी का दौराने बहस तर्क रहा कि रेफरेंस प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि अप्रार्थी के नाम जमाबंदी में सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार अंकित किया हुआ है। जिस पर अप्रार्थी का बिज काशत होकर काशतकारी करता चला आ रहा है और नियमित रूप से लगान पिलाई का भुगतान करता चला आ रहा है। उक्त भूमि से अप्रार्थी अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। इसके अलावा अप्रार्थी के आय का कोई स्रोत नहीं है। अगर रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जाता है, तो अप्रार्थी के भूखे मरने की नोबत आ जावेगी। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर रेफरेंस कार्यवाही खारिज फरमायी जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत 2004 से 2008, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2028 से 2047 एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का से यह प्रकट है कि ग्राम खटकड़ की विवादित भूमि के पुराने खसरा संख्या 110/3 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा थे तथा वर्ष 1947 से पूर्व इस भूमि की किस्म तलाई अंकित थी एवं यह भूमि राजकीय भूमि थी। उक्त मूल खसरा सं. 110/3 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा भूमि में से नवीन खसरा नं. 210 में शामिल 04 बिस्वा भूमि, खसरा नं.212 में शामिल 03 बिस्वा भूमि एवं खसरा नं. 220 में शामिल 14 बिस्वा भूमि सिवायचक गे.मु.तलाई होनी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पूर्व में प्रेषित रेफरेंस की भूमि खसरा सं. 220/1 में से कोई भूमि पूर्व में तलाई दर्ज नहीं थी, अपितु खसरा सं. 210 जिसके नये खसरा नं. 1483/210 रकबा 0.1052 हैक्टर बने है, जिसमें से 0.0108 हैक्टर तलाई की भूमि सम्मिलित है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त भूमि अप्रार्थी देवीशंकर पुत्र कालू खटीक के खाते दर्ज कर दी गयी, जो राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार नियम विरुद्ध है। इस कारण तहसीलदार रायथल द्वारा उक्त खसरा नं. 1483/210 रकबा 0.1052 हैक्टर में से 0.0108 हैक्टर बाबत रेफरेंस प्रकरण स्वीकार किये जाने हेतु भिजवाया है।

इसके संबंध में अप्रार्थी को आपत्ति है कि अप्रार्थी के खाते की उक्त भूमि वर्तमान में मौके पर तलाई नहीं होकर कृषि भूमि है। इस बाबत यहां उल्लेखनीय है कि उक्त रेफरेंस प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय ने डी.बी.सिविल जनहित याचिका सं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में पेश किया गया, उक्त प्रकरण में वर्ष 1947 की स्थिति के आधार पर निर्णय किया जाना है न कि वर्तमान स्थिति के आधार पर। इस कारण वर्तमान मौका स्थिति में उक्त भूमि कृषि भूमि होने पर भी उक्त निर्णय की पालना में कोई रोक नहीं है।



*[Handwritten signature]*

माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी गै.मु. भूमि पर खातेदारी दिया जाना गलत माना है तथा राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र संख्या 9213-9244 दिनांक 13.11.2007 में भी ऐसी भूमियों की खातेदारी निरस्त करने के निर्देश हैं। परिणामस्वरूप यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम खटकड़, तहसील रायथल में विस्थित भूमि वर्तमान खसरा सं. 1483/210 रकबा 0.1052 हैक्टेयर में से 0.0108 हैक्टेयर पर अप्रार्थी देवीशंकर पुत्र कालू जाति खटीक निवासी खटकड़ को दी गयी खातेदारी निरस्त कर भूमि पूर्ववत राजकीय सिवायचक किस्म गै.मु.तलाई दर्ज किये जाने हेतु रेफरेंस प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जाता है। अतः पत्रावली फैसले में शुमार होकर अभिशंषित मूल रेफरेंस प्रकरण निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 02.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अक्षय गोदारा)  
जिला कलेक्टर, बुन्दी  
जिला कलेक्टर बुन्दी